Kindly, Att: State Motor Garage, ~~[illegible]~~ Jodhpur (Raj)

2

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प॰ 6(38) साप्र/1/95 जयपुर, दिनांक: 6.10.95

1. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
3. अति॰ महानिदेशक पुलिस, (इन्टे॰/प्रशा॰), राज॰, जयपुर ।
4. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस, सी॰आई॰डी॰(सुरक्षा), राज॰, जयपुर ।
6. समस्त उप महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान ।
7. पुलिस अधीक्षक, सी॰आई॰डी॰(सुरक्षा), राज॰, जयपुर ।
8. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान ।

विषय:- अति॰ विशिष्ट/विशिष्ट व्यक्तियों की राजस्थान यात्रा के दौरान उनके साथ आने वाले एस॰पी॰जी॰ एवं एन॰एस॰जी॰ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए यातायात की व्यवस्था के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि गृह विभाग के पत्र संख्या एफ॰ 33(1)(गृह/ग्रुप-9)/95 दिनांक 30 मार्च, 1995 (प्रति संलग्न) के द्वारा निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि भारत के पूर्व प्रधान मंत्रियों एवं उनके निकटतम परिवार के सदस्यों की राजस्थान यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा हेतु आने वाले एस॰पी॰जी॰ अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए यातायात की सुविधा पुलिस विभाग द्वारा दी जावेगी एवं इस हेतु समस्त व्यय का भार पुलिस विभाग द्वारा ही वहन किया जावेगा ।

इसी के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विशिष्ट अतिथियों की राजस्थान यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा हेतु आने वाले एन॰एस॰जी॰ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी यातायात की सुविधा पुलिस विभाग द्वारा ही दी जावेगी एवं इस हेतु समस्त व्यय भार भी पुलिस विभाग द्वारा ही वहन किया जावेगा ।

यह आदेश गृह विभाग की आई॰डी॰ संख्या 3396/एसीएसएच/95 दिनांक 27 सितम्बर, 1995 में अंकित सहमति से जारी किए जा रहे हैं ।

भवदीय

[signature]

संलग्न- 1

(राकेश श्रीवास्तव)
विशिष्ट शासन सचिव

...2...

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल, राज0, जयपुर ।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राज0, जयपुर ।
3. प्रमुख निजी सचिव, मुख्यमंत्री, राज0, जयपुर ।
4. निजी सचिव, गृह मंत्री, राज0, जयपुर ।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर ।
6. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव (गृह), राजस्थान, जयपुर ।
7. विशेष सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली-110001
8. कन्ट्रोलर, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, राज0, जयपुर ।
9. मण्डलीय अधीक्षक, स्टेट मोटर गैराज, उदयपुर/जोधपुर ।
10. उप महाप्रबंधक, खेतड़ी वाला कोठी, जयपुर ।
11. समस्त प्रबंधक, विश्राम भवन, राजस्थान ।
12. सम्पर्क अधिकारी, निवासीय आयुक्त कार्यालय, बीकानेर हाउस, पण्डारा रोड, नई दिल्ली ।
13. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ।
14. निजी सचिव, उप शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (ए), (बी) ।
15. निजी सचिव, डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल, सामान्य प्रशासन विभाग ।
16. निजी सचिव, सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग ।
17. लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग ।
18. गार्ड फाईल ।

(हस्ताक्षर) 6/10/95

डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल

रमेश जैन/-

2

अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1) विभाग

विषय:-अति विशिष्ट/विशिष्ट व्यक्तियों की राजस्थान यात्राओं के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अतिविशिष्ट व्यक्तियों/विशिष्ट व्यक्तियों की राजस्थान यात्राओं के दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्थाओं का समस्त दायित्व पुलिस विभाग का है । अत: विशिष्ट व्यक्तियों की राजस्थान यात्राओं के दौरान आवश्यकतानुसार वार्निंग कार, पायलट कार, एस्कार्ट कार, टेल कार आदि उनकी सुरक्षा के दायित्वों के निर्वहन हेतु पुलिस विभाग द्वारा लगाई जाती रही है । किंतु अति विशिष्ठ व्यक्तियों की सुरक्षा के दायित्वों के निर्वहन हेतु जिन गाड़ियों की आवश्यकता होती है, उनकी व्यवस्था पुलिस विभाग द्वारा स्व करने की अपेक्षा, अपना दायित्व अचानक सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप दिया जाता है । यदि पुलिस विभाग के पास पायलेट, एस्कोर्ट कारों हेतु अभाव है तो उन्हें गृह विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजना चाहिए ताकि उक्त व्यक्तियों की यात्राओं के दौरान सुरक्षा में बाधा उत्पन्न न होवे ।

एस.पी.जी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार उपलब्ध कराने के संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अ०शा० पत्र VI-23014/3/95 जीपीए.III दिनांक 20 फरवरी, 1995 तथा उप शासन सचिव, गृह (ग्रुप-9) विभाग के पत्रांक एफ. 33 (1) (गृह-9/95 दिनांक 30 मार्च, 1995 के अन्तर्गत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा हेतु एस.पी.जी अधिकारियों/कर्मचारियों को कारें देने का सम्पूर्ण दायित्व पुलिस विभाग को सौंपा गया है एवं एस.पी.जी अधिकारियों/कर्मचारियों की गाड़ियों पर किए जाने वाला सम्पूर्ण व्यय भार भी पुलिस विभाग द्वारा ही वहन किया जावेगा । उक्त स्पष्ट आदेशों के बावजूद भी पुलिस विभाग द्वारा तथा स्वयं एस.पी.जी अधिकारियों द्वारा प्राय: सामान्य प्रशासन विभाग से गाड़ियों की मांग की जाती है जो उचित नहीं है ।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग को कृपया स्पष्ट आदेश देनेका श्रम करें कि भविष्य में अतिविशिष्ट व्यक्तियों/विशिष्ठ

...2..

व्यक्तियों की सुरक्षा का दायित्व निर्वहन पुलिस विभाग द्वारा किया जावे साथ ही वार्निंग कार, पायलट कार, एस्कार्ट कार, टेल कार एवं अन्य कोई कार जो सुरक्षा दायित्वों के निर्वहन हेतु आवश्यक है, का प्रबंध पुलिस विभाग द्वारा ही किया जावे ।

ह०

(अशोक जैन)
विशिष्ठ शासन सचिव

प्रति
अति० मुख्य सचिव,
गृह एवं न्याय विभाग

अ०शा०टीप प० 6(29)साप्र/1/96
जयपुर, दिनांक: 13-1-97

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक पुलिस, राज०, जयपुर ।
2. अति० महानिदेशक, पुलिस, (इन्टे०)राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र सं. सी.आई.डी/एस.बी/एस-1/ 96/6889-91 दिनांक 17.12.96 के संदर्भ में ।
3. पुलिस अधीक्षक, जयपुर नगर, जयपुर ।
4. कन्ट्रोलर, स्टेट मोटर गैराज, जयपुर ।
5. गार्ड फाईल ।

(हस्ताक्षर)
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकाल

बंसल/-

राजस्थान सरकार

# स्टेट मोटर गैराज विभाग

8

क्रमांकः प.2( )रनिंग/स्टे.मो.गै./2017–18/ 1671–92 जयपुर, दिनांक 19.02.2018

1. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. अति० महानिदेशक पुलिस, (इन्टे./प्रशा) राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस, सीआईडी(सुरक्षा) राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त उप महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान।
7. पुलिस अधीक्षक, सीआई.डी.(सुरक्षा) राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।

विषयः– अतिविशिष्ठ/विशिष्ठ व्यक्तियों की राजस्थान यात्रा के दौरान उनके साथ आने वाले एस.पी.जी. एवं एन.एस.जी. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये वाहन तथा वार्निंग, एस्कोर्ट, पायलट, टेल, बेगेज कार की व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भः– उप सचिव, गृह (ग्रुप–9) विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक F.33(1)Home-9/95 Jaipur Dated 30 March, 1995, विशिष्ठ शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1) विभाग का पत्र क्रमांक प.6(38)साप्र/1/93 जयपुर दिनांक 06.10.1995 एवं वरिष्ठ शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1) विभाग का अशा.टीप क्रमांक प.6(29)साप्र/1/96 जयपुर दिनांक 13.01.1997

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि ऊपर संदर्भित पूर्व पत्रो के क्रम में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिविशिष्ठ/विशिष्ठ व्यक्तियों की राजस्थान यात्रा के दौरान उनके साथ आने वाले एस.पी.जी. एवं एन.एस.जी. अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये वाहन की व्यवस्था एवम कारकेड मे वार्निंग, एस्कोर्ट, पायलट, टेल, बेगेज वाहन की व्यवस्था पुलिस विभाग द्वारा की जायेगी। उक्त प्रयोजनार्थ यथा आवश्यक बजट में प्रावधान /किराये पर वाहन लेने की निविदा कार्यवाही संबंधी दायित्व भी पुलिस विभाग का होगा व उक्त वाहन व्यवस्था का समस्त व्यय भार पुलिस विभाग द्वारा ही वहन किया जावेगा। इस प्रकार सुरक्षा व्यवस्था से जुडे अधिकारियो/कर्मचारियो को यातायात की सुविधा व कारकेड मे सुरक्षा दायित्व से जुडे उक्त समस्त वाहनो की व्यवस्था पुलिस विभाग द्वारा ही दी जावेगी

यह मुख्य सचिव महोदय से अनुमोदित है।

(पवन कुमार गोयल)
O/C प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, गृह मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
5. विशेष सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्टेट मोटर गैराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
9. डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकाल सामान्य प्रशासन विभाग।
10. नियन्त्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग, जयपुर।
11. मण्डलीय अधीक्षक, स्टेट मोटर गैराज उदयपुर/जोधपुर।
12. अतिरिक्त आवासीय आयुक्त, कार्यालय बीकानेर, हाऊस, पण्डारा रोड़ नई दिल्ली।
13. लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।

(महेन्द्र सोनी)
O/C संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

# स्टेट मोटर गैराज विभाग

क्रमांकः प.2( )रनिंग/स्टे.मो.गै./2018–19/ जयपुर, दिनांक 25-05-2018

1. अति० मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।

विषयः– अतिविशिष्ठ/विशिष्ठ व्यक्तियों की राजस्थान यात्रा के दौरान कारकेड हेतु वार्निंग कार, एस्कोर्ट कार, पायलट कार, टेल कार, बेगेज कार की व्यवस्था एवं उनके साथ आने वाले एस.पी.जी./एन.एस.जी. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये वाहन व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भः– राज्य विशेष शाखा, राजस्थान जयपुर से जारी पत्रांक अअवि/विशा/वीएस–X 2018/729 दिनांक 11.05.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम मे लेख है कि अतिविशिष्ठ/विशिष्ठ व्यक्तियों की राजस्थान यात्रा के दौरान कारकेड मे वार्निग कार, एस्कोर्ट कार, पायलट कार, टेल कार, बेगेज वाहन की व्यवस्था एवम साथ ही अतिविशिष्ठ व्यक्तियों के साथ आने वाले एस.पी.जी./एन.एस.जी. अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये वाहन की व्यवस्था पुलिस विभाग द्वारा ही की जायेगी। अतिविशिष्ठ व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्थाओं का समस्त दायित्व पुलिस विभाग का है। यदि पुलिस विभाग के पास पायलट कार, एस्कार्ट कार, टेल कार, वार्निग कार, बैगेज कार इत्यादि हेतु वाहनों का अभाव है तो वे गृह विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रस्ताव भिजवाकर वाहन व्यवस्था सुनिश्चित करे। ताकि अतिविशिष्ठ व्यक्तियों की यात्रा के दौरान सुरक्षा मे बाधा उत्पन्न न हो। उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकतानुसार वाहन क्रय /किराये पर लेने की व्यवस्था करे।

इस प्रकार अतिविशिष्ठ व्यक्तियों की राज्य की यात्रा पर कारकेड मे सुरक्षा दायित्व से जुडे उक्त समस्त वाहनो यथा वार्निंग कार, एस्कोर्ट कार, पायलट कार, टेल कार, बेगेज कार की व्यवस्था एवम सुरक्षा व्यवस्था से जुडे एस.पी.जी./एन.एस.जी. अधिकारियो/कर्मचारियो को यातायात की सुविधा पुलिस विभाग द्वारा ही दी जावेगी।

सुरक्षा दायित्वों से संबंधित वाहनो की व्यवस्था के संबंध में समय–समय पर जारी परिपत्र/निर्देशों में गृह विभाग से जारी पत्रांक F.33(1)Home-9/95 Jaipur Dated 30 March, 1995, विशिष्ठ शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1) विभाग का पत्र क्रमांक प.6(38)साप्र/1/93 जयपुर दिनांक 06.10.1995, विशिष्ठ शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1) विभाग का अशा.टीप क्रमांक प.6(29)साप्र/1/96 जयपुर दिनांक 13.01.1997, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 08 जून, 2012 एवं प्रमुख शासन सचिव, स्टेट मोटर गैराज विभाग का पत्र क्रमांक 1671–92 जयपुर दिनांक 19.02.2018 इसके संलग्न प्रेषित है।

यह मुख्य सचिव महोदय से अनुमोदित है।

संलग्नः– उक्तानुसार।

24.5.2018

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, गृह मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
5. विशिष्ठ सहायक मा० मंत्री, स्टेट मोटर गैराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
7. डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकाल सामान्य प्रशासन विभाग।
8. नियन्त्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग, जयपुर।
9. मण्डलीय अधीक्षक, स्टेट मोटर गैराज उदयपुर/जोधपुर।
10. अतिरिक्त आवासीय आयुक्त, कार्यालय बीकानेर, हाऊस, पण्डारा रोड़ नई दिल्ली।
11. लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

(महेन्द्र सोनी)
संयुक्त शासन सचिव